IJAER/March-April-2022/Volume-11/Issue-2 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

मध्याह्न भोजन योजना के प्रति छात्रों तथा अभिभावकों की अभिवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन

करुणा त्यागी
शोधार्थिनी
असिस्टेंट प्रोफेसर
शिक्षा विभाग
ताराचंद वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज, मुज़फ्फरनगर

श्री पार्थ सारथी
शोध निर्देशक
असिस्टेंट प्रोफेसर
शोध संकाय
दीन दयाल कॉलेज, मुज़फ्फरनगर

सारांश

बालक परिवार का दीपक व राष्ट्र का दिवाकर होता है इसलिए सरकार उनके स्वास्थ्य,पोषण, शिक्षा और सांस्कृतिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं निर्धारित करती है और उनका समुचित रूप से कार्यान्वयन करने का प्रयास करती है।

भारत सरकार द्वारा बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई । यह योजना खासतौर पर उन बच्चों के लिए है जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं व उनके परिवार आर्थिक,

सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं और उन्हें संतुलित एवं पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है। साथ ही प्राथमिक स्तर पर छात्रों की नामांकन एवं उपस्थिति संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन की योजना को प्रारंभ किया गया जिससे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सभी बच्चों को साक्षर बनाया जा सके। परंतु मध्याह्न भोजन योजना के प्रति छात्रों तथा अभिभावकों की क्या अभिवृति है, वे इस योजना को लेकर कितने सकारात्मक हैं अथवा नामांकन योजना पर इस योजना का क्या प्रभाव पड़ रहा है? यह ज्ञात करने का प्रयास शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से किया गया है । अध्ययन के लिए शोधार्थी ने जिला मुजफ्फरनगर के ब्लॉक चरथावल के प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों एवं अभिभावकों पर अध्ययन करके निष्कर्ष प्राप्त किये कि मध्याह्न भोजन योजना के छात्रों एवं उनके अभिभावकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं जिससे छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति संख्या में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त योजना की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए जिससे इस योजना का प्रत्येक बालक को समुचित लाभ मिले और वह देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सक्षम बने।

प्रस्तावना----

1990 में विश्व कॉन्फ्रेंस में सबके लिए शिक्षा की घोषणा की गई जिससे सभी देशों में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में तेजी आई। 1994 में सरकार ने शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (

डीपीईपी) शुरू किया। अगस्त 1995 को सरकार ने छात्रों को स्कूल की तरफ आकर्षित करने और उन्हें रोके रखने के लिए मिड डे मील योजना शुरू की जिसे पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कहा जाता है। भारत में प्राथमिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था हेतु भारत के स्वतंत्रता उपरांत ही बहुत सी नीतियां बनाई गयी। चूँकि हमारा उद्देश्य निश्चित आयु वर्ग के सभी

बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा निशुल्क व अनिवार्य के लक्ष्य को पाना था। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तथा उन्नयन के लिए सुझाव देने के संबंध में 1957 में सरकार ने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन किया। इस परिषद ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार व उन्नयन के संबंध में ठोस सुझाव दिए जिससे प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में तेजी आई। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निशुल्क प्रदान किया जाता है अधिक छात्रों के नामांकन और अधिक छात्रों की नियमित उपस्थिति के संबंध में स्कूल भागीदारी पर मध्याह्न भोजन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं। जो बच्चे स्कूल आने से पहले भोजन करते हैं उन्हें भी दोपहर तक भूख लग आती है और वे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के लिए पूरक पोषण के स्रोतों और उनके स्वस्थ विकास के रूप में भी कार्य कर सकता है। यह समतावादी मूल्यों के प्रसार में भी सहायता कर सकता है क्योंकि कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे साथ में बैठते हैं और साथ साथ खाना खाते हैं। विशेष रूप से मध्याह्न भोजन स्कूल में बच्चों के मध्य जाति व वर्ग के अवरोध को मिटाने में सहायता कर सकता है। स्कूल की भागीदारी में लैंगिक अंतराल को भी यह कार्यक्रम कम कर सकता है क्योंकि यह बालिकाओं को स्कूल जाने से रोकने वाले अवरोध को समाप्त करने में भी सहायता करता है। मध्याह्न भोजन स्कीम छात्रों के ज्ञानात्मक,भावनात्मक और सामाजिक विकास में मदद करती है।

सुनियोजित मध्याह्न भोजन को बच्चों में विभिन्न अच्छी आदतें डालने के अवसर के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। यह स्कीम महिलाओं को रोजगार के उपयोगी स्रोत भी प्रदान करती है।

कार्यक्रम के उद्देश्य

इस स्कीम के लक्ष्य भारत में अधिकांश बच्चों की दो मुख्य समस्याओं अर्थात भूख और शिक्षा का इस प्रकार समाधान करना है

1 सरकारी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक प्रयोगात्मक शिक्षा केंद्रों तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में वर्ग एक से आठ तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना।
2 लाभ वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने और कक्षा के कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना।
3 ग्रीष्मावकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना।

शोध का विषय—

प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के प्रति छात्रों, अभिभावकों की अभिव्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन।

शोध के उद्देश्य-

शोधार्थी द्वारा शोध के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए-

1. मध्याह्न भोजन योजना के प्रति छात्रों की अभिव्यक्तियों का अध्ययन करना।
2. मध्याह्न भोजन योजना के प्रति अभिभावकों की अभिव्यक्तियों का अध्ययन करना।
3. मध्याह्न भोजन योजना के चलते छात्रों के नामांकन का अध्ययन करना।
4. मध्याह्न भोजन योजना के चलते छात्रों की उपस्थिति का अध्ययन करना।

अध्ययन का शीर्षक-

प्रस्तुत अध्ययन के लिए शोधार्थी ने अपने शोध का शीर्षक चुना-- प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के प्रति छात्रों अभिभावकों की अभिव्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

पदों की परिभाषा-

प्राथमिक विद्यालय-- प्राथमिक विद्यालय से तात्पर्य परिषदीय या सरकार द्वारा अनुदानित उन विद्यालयों से है जो छात्रों को कक्षा एक से पांच तक ही शिक्षा उपलब्ध कराते हैं।

मध्याह्न भोजन योजना-- प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत छात्रों को पौष्टिक, स्वादिष्ट व पका पकाया भोजन मध्याह्न समय में उपलब्ध कराया जाता है।

अध्ययन की परिसीमाएं–

प्रस्तुत शोध के लिए शोधार्थी ने केवल जिला मुजफ्फरनगर के चरथावल ब्लॉक की सीमा में आने वाले 10 प्राथमिक विद्यालयों का ही चयन किया और समय सीमा को देखते हुए उनमें से 50 छात्रों और उनके 50 अभिभावकों का ही चयन किया गया।

पूर्व में किए गए शोध कार्य–

शोधार्थी ने प्रस्तुत अध्ययन के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के शिक्षा संकाय के पुस्तकालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी विभिन्न रिपोर्टों का अध्ययन किया जो इस प्रकार है–

नई शिक्षा नीति के तहत 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसने 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें कहा गया कि बच्चों की देखभाल और उन्हें शिक्षा की सभी सुविधाएं संवैधानिक निर्देश को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्याओं का पता लगाना चाहिए। इसमें पहली बार बच्चों की देखभाल की बात कही गयी और शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर ज़ोर दिया गया।

शिवानी शर्मा, 1992 ने प्राथमिक विद्यालयों में अपव्यय और अवरोधन पर एक अध्ययन किया जिससे निष्कर्ष **इस प्रकार प्राप्त हुए–**

ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या अधिक पाई गयी। इसका कारण उनका खराब स्वास्थ्य, गरीबी, स्कूलों में सुविधाओं का अभाव, अध्यापकों द्वारा प्रेरणाओं की कमी, कठिन पाठ्यक्रम एवं शिक्षकों का असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार पाया गया। शहरी क्षेत्रों में लड़कों में अवरोधन की समस्या अधिक पाई गई। इसका कारण कक्षा का एक स्वस्थ वातावरण, अव्यवहारिक शिक्षण अधिगम परिस्थितियों अरुचिपूर्ण व भोजन पाठ्यक्रम का होना पाया गया।

न्यूपा रिपोर्ट कार्ड, 2006 -07 नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों के 7.37% स्कूलों में ब्लैकबोर्ड की सुविधा नहीं है जबकि शहरी इलाकों में यह संख्या 9.06% है इसके अतिरिक्त हजारों स्कूल बिल्डिंग पेयजल शौचालय और खेलकूद जैसी सुविधाओं से वंचित है। इस रिपोर्ट के अनुसार 21,699 स्कूलों में तो शिक्षक ही नहीं हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के प्रतिची ट्रस्ट द्वारा 2005 में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मध्याह्न भोजन का अध्ययन किया गया और पाया कि मध्याह्न भोजन योजना ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सकारात्मक भूमिका निभाई है इसके चलते लड़कियों एवं एसटी व एससी के छात्रों में नामांकन व उपस्थिति में वृद्धि हुई है इसके

चलते कक्षा कक्ष में भूख बने रहने की स्थिति दूर हुई है। मध्याह्न भोजन योजना के चलते विशेष रूप से सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े बालकों की कुपोषण की समस्या को हल किया गया है । इसने सामाजिक संकीर्णता को दूर किया है । इसके चलते व्यापक अनुपस्थिति पर भी रोक लगी है।

मध्यप्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना समाज के प्रगति सहयोगी (ज्योत्सना जैन एवं मिहिर शाह 2005) यह सर्वेक्षण मध्य प्रदेश के 70 सर्वाधिक पिछड़े गांवों में भी किया गया इसमें नियमित तथ्य सामने आए 90% शिक्षकों और रसोइयों ने नियमित रूप से मध्याह्न भोजन दिए जाने का दावा किया । 96% अभिभावकों ने मध्याह्न भोजन योजना को जारी रखने की बात कही । 63 प्रतिशत अभिभावकों ने इस योजना से छात्रों का अधिगम योग्यताओं में वृद्धि की पुष्टि की वहीं 74% शिक्षकों ने छात्रों पर इसके धनात्मक प्रभाव की पुष्टि की । एससी एसटी वर्ग के छात्रों में 43% बालिकाओं के नामांकन में 38% और कुल मिलाकर 15% की नामांकन वृद्धि दर्ज की गई 60% अभिभावकों के अनुसार भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक थी जबकि 10% अभिभावकों के अनुसार यह असंतोषजनक थी तथा 30% ने इसे पूरी तरह से खराब बताया।

उदयपुर जिले में मध्याह्न भोजन योजना का आयोजन एवं उनके प्रभाव (जूलिया ब्ल्यू एवं सेवा मंदिर 2005) इस रिपोर्ट में आदिवासी समुदाय एवं छोटे किसानों के बच्चों पर मध्याह्न भोजन के प्रभाव को उजागर किया गया मध्याह्न भोजन उदयपुर के ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को नियमित रूप से दिया जा रहा है । भोजन में विविधता के सतत प्रयास किए जा रहे हैं । मध्याह्न भोजन योजना गरीब बच्चों की दैनिक पोषण आवश्यकताओं की पर्याप्त भरपाई कर रहा है । नामांकन व उपस्थिति में वृद्धि दर्ज की गयी।

दिल्ली में मध्याह्न भोजन योजना-

दिल्ली नगर निगम के 12 स्कूलों में किए गए इस सर्वेक्षण के परिणाम इस प्रकार है–

1. सभी स्कूलों में बच्चों को पका हुआ भोजन प्राप्त हो रहा है।
2. 83% अभिभावक भोजन की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं।
3. बालिकाओं की उपस्थिति परियोजना का अच्छा प्रभाव है।
4. पीने के पानी की उपलब्धता न होने के कारण कुछ बच्चों द्वारा स्कूल बीच में ही छोड़ देना।
5. भोजन के वितरण के दौरान बच्चों में अच्छी आदतों के विकास हेतु कुशल शिक्षकों की आवश्यकता।
6. भोजन की पोषकता अथवा उनके कुप्रभावो के संदर्भ में शोध की आवश्यकता है।

शोध का औचित्य---

पिछले कुछ सर्वेक्षण के आधार पर जब शोधार्थी ने यह पाया कि कुछ क्षेत्रों में तो मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत छात्रों के नामांकन और उपस्थिति संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन कुछ क्षेत्रों में आज भी स्थिति संतोषजनक नहीं है । इन सभी समस्याओं को देखते हुए एक बार पुनः शोधार्थी के मन में इस विषय पर शोध करने का विचार आया और इन्ही सब धारणाओं के चलते हुए इस क्षेत्र में छात्रों और अभिभावकों को सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को जानने के लिए प्रस्तुत शोध की दिशा में शोधार्थी ने यह कदम उठाया।

अध्ययन विधि–प्र स्तुत लघु शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि को आधार मानकर कार्य किया गया है क्योंकि किसी क्षेत्र में निश्चित तथ्यों की प्राप्ति के लिए सर्वेक्षण पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है।

न्यादर्श चयन-

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल ब्लॉक के समस्त छात्रों व अभिभावकों का चयन प्रसंभाव्यता लाटरी विधि द्वारा किया गया है।

उपकरण- प्रस्तुत शोध कार्य में शोधकर्ता द्वारा निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया । इस प्रश्नावली में छात्रों अभिभावकों की अभिव्यक्तियों को जानने हेतु विभिन्न पदों का निर्माण किया गया।

आंकड़ों का संकलन–

आंकड़ों के संकलन हेतु शोधार्थी प्राथमिक विद्यालयों में गई और वहाँ के मुख्य अध्यापकों से अनुमति प्राप्त करके पांच छात्रों व पांच अभिभावकों को प्रश्नावली की प्रतियाँ वितरित की प्रश्नावली के प्रशासन के उपरांत प्रश्नों का फलांकन किया गया परिजनों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं का तीन बिंदु मापनी पर पालन किया गया । कथनों के अंक देने की विधि अधोलिखित तालिका में दर्शाया गई है।

तालिका–

क्रम संख्या	प्रतिकिया	अंक
1	हां	1
2	अनिश्चित	0
3	नहीं	-1

मध्याह्न भोजन योजना के प्रति छात्रों तथा अभिभावकों की अभिव्यक्तियों को जानने हेतु प्रश्नावली से प्राप्त आंकड़ों को वर्गीकृत कर के सारणीयन किया गया । उसके बाद छात्रों व अभिभावकों के मतों का मध्य मान ज्ञात किया गया।

तालिका– 1

मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति छात्रों व् अभिभावकों का दृष्टिकोण

	प्रयोज्यों की संख्या	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	क्रान्तिक मान
छात्र	50	7.62	1.93	0.88
अभिभावक	50	7.40	1.28	

स्वतंत्रता का अंश-98

उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि छात्रों का मध्याह्न भोजन योजना के प्रति दृष्टिकोण प्राप्त अंकों का मध्याह्न 7.62 है तथा अभिभावकों का मध्यमान 7.40 है इसी प्रकार मध्याह्न भोजन योजना के प्रति अभिभावकों से प्राप्त प्रामाणिक विचलन 1.28 तथा छात्रों द्वारा प्राप्त प्रामाणिक विचलन 1.93 प्राप्त हुआ।

इससे स्पष्ट है कि मध्याह्न भोजन योजना के प्रति छात्रों तथा अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

छात्रों की अभिवृत्तियों संबंधित कलम-

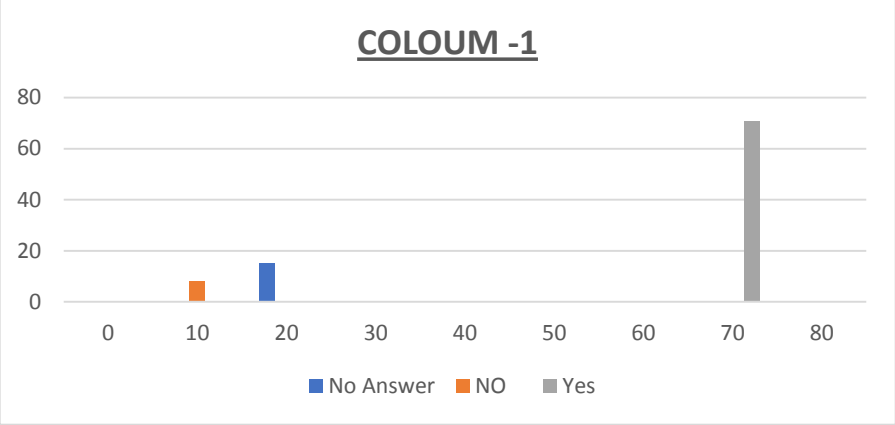

अभिभावकों की अभिवृत्तियों या संबंधित कॉलम-

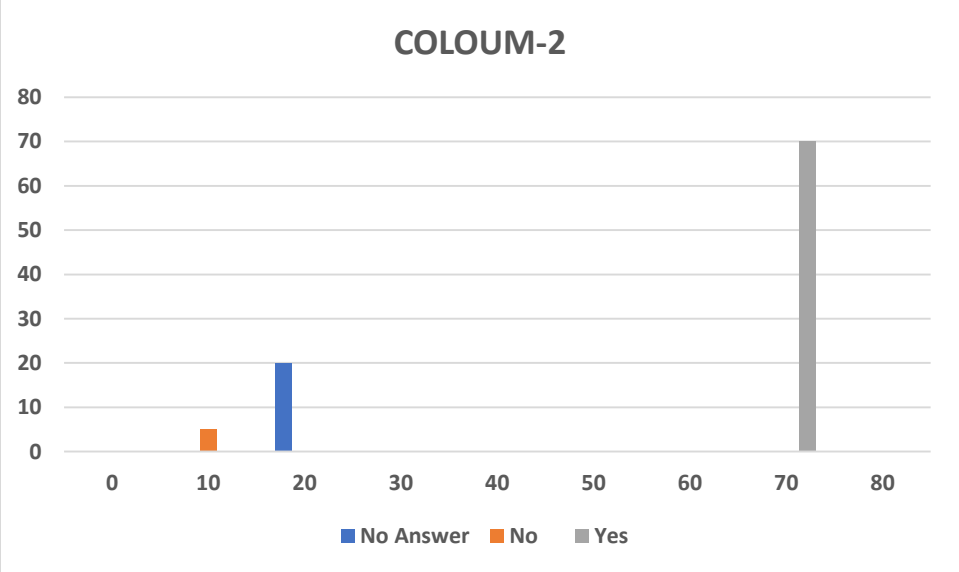

निष्कर्ष–

प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर शोधार्थी के निष्कर्ष इस प्रकार रहे मध्याह्न भोजन योजना के प्रति छात्रों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उन्हें अच्छा वे स्वादिष्ट भोजन मीनू के अनुसार प्रतिदिन मिल रहा है । भोजन करने से पूर्व और पश्चात दोनों समय उनका मन पढ़ाई में अधिक लगता है । भोजन बनाने से पहले ही सब्जियों और अनाजों को अच्छी तरह धोया जाता है । 74% छात्रों की मध्याह्न भोजन योजना के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया है । कुछ छोटे बच्चों का ध्यान पढ़ाई की अपेक्षा मिड डे मील की तरफ अधिक रहता है।

मध्याह्न भोजन योजना के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने से ज्ञात होता है की योजना का संचालन अति महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है । इससे छात्रों को दोपहर में पका पकाया भोजन मिल जाता है जिससे दोपहर में उन्हें घर खाने के लिए नहीं आना पड़ता।

अन्य अभिभावक के अनुसार विद्यालय में बच्चों की संख्या में इजाफ़ा जरूर हुआ है किंतु बच्चों का उद्देश्य पढ़ना कम और भोजन पाना ज्यादा है। कई बच्चे अपने साथ उन भाई बहनों को भी लाते हैं जो छात्र नहीं है। एक अन्य अभिभावक का कहना है कि इस योजना से अध्यापकों को इतना व्यस्त कर दिया है कि विद्यालयों में पढ़ाई के अलावा बाकी काम नहीं हो रहा है।

शोध के शैक्षिक निहितार्थ–

मिड डे मील को देने वाली एजेंसियों के साथ अनुबंध करते समय लागत पर नहीं बल्कि सफाई के स्तर और पोषण तथा आहार के स्वास्थ्यकर तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए । सामयिक आधार पर आहार की सूची में नई नई आहार वस्तुएं और विविधता को शामिल किया जाना चाहिए। यह हमेशा जारी रहने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। यदि संबंधित ठेकेदार ऐसा प्रयास करते हैं तो उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त इस योजना के सफल संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों को इस योजना का समय समय पर औचक निरीक्षण करना चाहिए तथा अध्यापकों को भी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ योजना के संचालन में सहयोग करना चाहिए। योजना की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक बालक को इस योजना का लाभ मिल सके और वह देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

भावी अनुसंधान हेतु सुझाव--

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी ने मध्याह्न भोजन योजना के प्रति छात्रों एवं अभिभावकों की अभिवृत्तियों का अध्ययन किया है । भावी शोधार्थी शिक्षा में अपव्यय वे अवरोधन के कारणों की विस्तृत व्याख्या भी कर सकते हैं।

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों को लिया गया है। शोधकर्ता मध्याह्न भोजन योजना का ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं।

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने केवल छात्रों और अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन किया है। भावी शोधार्थी रसोइयों और इस योजना से जुड़े ग्राम प्रधान, प्रशासनिक तंत्र की भूमिका पर भी शोध कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. (गुप्ता एसपी) भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं ।
2. शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद ।
3. (भटनागर सुरेश) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास ।
4. और लाल बुक डिपो मेरठ ।
5. मध्याह्न भोजन योजना संदर्शिका (जुलाई 2006) ।
6. (भटनागर आर पी) 2006, शिक्षा अनुसंधान मेरठ लॉयल बुक पब्लिकेशन्स ।

7. (गोविंद आर) 1980, स्कूल एजुकेशन इन रूरल एरिया, ए स्टडी ऑफ थंकु डिस्ट्रिक्ट आईएसआईएल बेंगलुरु इन बंच, एम बी 50 सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन नई दिल्ली ।
8. (लाल राम बिहारी) 2005, फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन मेरठ, रस्तोगी. शिवाजी रोड ।
9. (शर्मा आर ए) 1993 फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन रिसर्च मेरठ, दयाल प्रिंटिंग प्रेस ।